- खातों पर टिप्पणियां 2.
- 447 एकड शून्य कनाल तथा 12 मरला भूमि पंजाब सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान की गई है । राजस्व प्राधिकारी 2.1 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भूमि की अनुमानित लागत रुपए 3,65,57,211.50 है । तथापि मालिक के द्वारा क्षतिपूर्ति, ब्याज इत्यादि के नकद भुगतान में बढ़ोतरी की शर्त पर, राज्य सरकार ने हाई-कोर्ट में क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई धन राशि के बारे में एक अपील दायर की है लेकिन भारत सरकार/संस्थान की इस मामले के बारे में कोई देयता नहीं है ।

बोर्ड प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिम धन को, यदि सामान्य समय अविध में लिया जाता है, 2-2-वहीं कीमत है, जैसे उन्हें तुलन-पत्र में दर्शाया गा है ।

विद्यार्थियों से इकट्ठी की गई जुर्माने के रूप में आय, ट्रांसक्रिप्ट शुल्क तथा अन्य प्रभार एवं आई टी आई इत्यादि से 2.3

प्राप्त शुल्क अन्य आय में शामिल हैं ।

बोर्ड प्रबन्धन की राय में 31.03.2012 तक ऐसे खर्च तथा आय जो प्रबंधन के ध्यान में आए तथा उसके ज्ञान एवं विश्वास 2.4 के अनुसार का लेखा-जोखा अक्रूअल आधार पर किया गया है । इसमें नकद आधार पर विद्यार्थी शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल नहीं है ।

संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर, फर्म एवं समितियां (पंजाब) के पंजीकार द्वारा दिनांक 29.09. 2.5 2003 के पंजीकरण संख्या 3586 द्वारा समिति के रूप में पंजीकृत है । तत्पश्चात भारत सरकार ने दिनांक 16.10.2003 की अधिसूचना द्वारा संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर को मानित विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित कर दिया ।

संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल संगरूर, तकनीकी शिक्षा संस्थान है जिसका उद्देश्य मात्र 2.6 शिक्षा प्रदान करना है न कि लाभ अर्जित करना । संस्थान, आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 10 (23सी) (iii

एबी) के अन्तर्गत छूट के हकदार, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध है ।

अनुबंध 8.2, 8.3 तथा 8.4 के अनुसार वसूली योग्य अग्रिम धन समायोजन की शर्त पर है तथा 31.03.2012 को यथा 2.7 विद्यमान बकाया अग्रिम धन राशियों को उचित समय पर समायोजित कर लिया जाएगा ।

सहायता अनुदान 2.8 259400000.00 रुपए की नॉन प्लान सहायता अनुदान राशि तथा 72000000.00 रुपए की प्लान-सहायता अनुदान राशि को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है तथापि वित्त वर्ष के दौरान 230300000.00 रुपए की राशि नॉन प्लान सहायता अनुदान के रूप में तथा 52100000/- रुपए की राशि प्लॉन सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है ।

1354.36 लाख रुपए की अग्रिम धन राशि विभिन्न जमा/निर्माण कार्यों के लिए समय-समय पर सीपीडब्ल्यूडी, लुधियाना 2.9 को दी गई है । इसमें छात्रावास सं0 9 (ब्वॉयस) के निर्माण कार्य हेतु राशि शामिल है जो तैयार हो चुका है तथा सितम्बर2010 में संस्थान के सुपूर्द किया जा चुका है तथापि सीपीडब्ल्यूडी, लुधियाना से बिल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण इसकी लागत को नियत परिसम्पत्तियों में समायोजित/पूंजीगत नहीं किया गया है। अन्य कार्यों हेत् अग्रिम धन की कार्यों के अनुसार स्थिति अभी सीपीडब्ल्यूडी, लुधियाना से प्रतीक्षित है ।

गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी अनिवार्य समझा गया, वर्ष के दौरान पुन: वर्गीकृत किया गया है ।

कृते प्रेम रविन्द्र एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

(संजय गुप्ता) (ज्वाला सिंह) नितिन कुमार कनिष्ठ लेखांकार लेखाकार पार्टनर

(राकेश मिश्रा) उंप रजिस्द्रार (प्रो0 सुनील पाण्डे) निदेशक

(लेखा एवं लेखा-परीक्षा)

2. Notes To Accounts

- 2.1 Land Measuring 447 acres zero Kanals and 12 Marlas has been provided by Punjab Government free of cost. The tentative cost of land as intimated by Revenue Authority is Rs. 36557211.50. However subject to increase by owners for encashment of compensation, interest etc. The state Govt. has filed an appeal in the High Court regarding enhanced amount of compensation, but Govt. of India/Institute has no liability in this case whatsoever.
- 2.2 In the opinion of the Board of Management, Current Assets, Loans & Advances have the value at which they are stated in the Balance Sheet, if realized in the ordinary course of business.
- 2.3 Other Income includes income from fines, transcript fee & other Charges collected from students and RTI Fees etc. received.
- 2.4 In the opinion of Board of Management, all the expenses and income upto 31.03.2012 which came to the notice to management and to the best of knowledge and belief, have been accounted for on accrual basis except Student Fee and other receipts recognized on cash basis.
- 2.5 Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal Sangrur has been registered as a Society vide Registration No. 3586 of 2003 dated 29.09.2003 by Registrar of Firms & Societies (Punjab). Subsequently the Govt. of India vide its notification dated 16.10.2003, notified Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal Sangrur as Deemed-to-be-University.
- 2.6 Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal Sangrur is a technical educational institution existing solely for education purposes and not for purposes of profit and is substantially financed by the Government entitled for exemption under section 10(23C)(iiiab) of the Income Tax Act, 1961.
- 2.7 Advances Recoverable as per Annexure 8.2, 8.3 & 8.4 are subject to adjustments and the outstanding advances as on 31.03.2012 will be adjusted in due course of time.
- 2.8 Grant-in-Aid
 Grant in Aid Non Plan amounting to Rs. 259400000.00 And Grant-in-Aid Plan amounting to Rs. 72000000.00 has been sanctioned by the Ministry of Human Resource, however Rs. 230300000.00 against Grant-in-Aid Non Plan and Rs. 52100000.00 against Grant-in-Aid Plan has been received during the year.
- 2.9 Advances of Rs. 1354.36 lacs has been paid to CPWD, Ludhiana for different Deposit/Construction Works from time to time. It includes advance for Construction of Hostel No. 9 (Boys) completed and handed over to the Institute in Sept. 2010 however the cost of the same has not been adjusted/capitalized to Fixed Assets for want of Bills/utilization certificate etc. from CPWD, Ludhiana. Further work-wise state of advances for other works is awaited from CPWD.
- 2.10 Previous Year Figures are regrouped and reclassified during the year, wherever considered necessary.

For Prem Ravinder & Co. Chartered Accountant

(Sanjay Gupta) (Jawala Singh) (Rakesh Mishra) (Prof Sunil Pandey)
Jr. Accountant Accountant Deputy Registrar Director
(Accounts & Audit)

Nitin Kumar (Partner)

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा (केन्द्रीय) चण्डीगढ़-160017

सं0.केन्द्रीय व्यय/स्लाईट/2012-13/226-27

दिनांक: 20.11.2012

सेवा में

सचिव, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग नई दिल्ली

विषय : संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (संगरूर) के वर्ष 2011-2012 के लिए लेखों पर पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट ।

महोदय,

मैं संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (संगरूर) के वर्ष 2011-2012 के लिए लेखों पर पृथ्क लेखा-परीक्षा रिपोर्ट आपकी तरफ से अपेक्षित कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूं । कृपया रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय रखा जाए ।

भवदीय हस्ता/-उप निदेशक(केन्द्रीय)

संलग्नकः उपर्युक्त

वर्ष 2011-2012 हेतु लेखों पर पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रति सहित उपर्युक्त की प्रति निदेशक संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (संगरूर) को अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय रखा जाए ।

संलग्नक: उपर्युक्त

उप निदेशक (केन्द्रीय)



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक – लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL),
CHANDIGARH - 160017

क्रमांक/No.: Central Exper/26/167/12-13/226 दिनांक/Dated: 20-4-20/2

To

The Secretary
Government of India

Ministry of Human Resources and Development

Department of Education

New Delhi

Subject:

Separate Audit Report on the Accounts of Sant Longowal Institute of

Engineering and Technology, Longowal (Sangrur) for the year 2011-12.

Sir,

I am to enclose a copy of the Separate Audit Report on the accounts of Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal (Sangrur) for the year 2011-12 for necessary action at your end. The report may be kept confidential till its presentation in the Parliament.

Yours faithfully,

30-

Dy. Director-I (Central)

Encl: As above

Copy of the above along with copy of Separate Audit Report is forwarded to the Director, Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal (Sangrur) for the year 2011-12 for necessary action at your end This report may be kept confidential till its

presentation in the Parliament.

Encl: As above

Dy. Director-I (Central)

लेखा परीक्षा भवन, सैक्टर 17-ई, चण्डीगढ़ दूरमाषः 0172-2782020 फैक्सः 0172-2782021

Lekha Pariksha Bhawan, Sector 17-E, Chandigarh Tel.: (Off.) 0172-2782020 and (Fax) 0172-2782021 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (संगरूर) के लेखाओं पर पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- हमने 31 मार्च 2012 को यथाविद्यमान संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (संगरूर) के संलग्न तुलन-पत्र तथा स्लाईट के समुदाय के ज्ञापन (एम ओ ए) की धारा 33(V) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है! लेखापरीक्षा वर्ष 2014-15 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है । इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंधन का है । हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।
- इस पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं । कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां यदि कोई हों, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं ।
- 3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है । इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धातों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i) हमने वे समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक थे;
- ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं।
- iii) हमारी राय में लेखाओं के समुचित और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रकट होता है, संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं।
- iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

Separate Audit Report on the accounts of Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal for the year ended 31 March 2012

We have audited the attached Balance Sheet of Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal as on 31 March 2012 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with clause 33 (V) of Memorandum of Association (MOA) of SLIET. The audit has been entrusted to us up to 2014-15. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4 Based on our audit, we report that:
- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that:

स्लाईट

तुलन-पत्र परिसम्पत्तियां परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम धन (अनुसूची-27) 4331.20 लाख रुपये 540 मुख्य सहायक अनुदान खाता (अनुसूची 8) 4090.68 लाख रुपये (वसूली योग्य अग्रिम धन (परिशिष्ट 8.2): 1435.60 लाख रुपये

इसमें 21.68 लाख रूपए शामिल हैं जो 31.03.2012 तक कई पार्टियों से वसूली योग्य हैं। ये अग्रिम धन जनवरी 1995 से फरवरी 2004 की अविध के दौरान कई पार्टियों को दिए गए थे। 5 से अधिक वर्षों से वसूली योग्य अग्रिम धन लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाया जाना चाहिए था।

ख आय तथा व्यय खाता व्यय प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 30) मुख्य स्लाईट खाता : 1077.16 लाख रुपये

क) जन स्वास्थ्य/बागबानी/विद्युत्/विद्युतीकरण: 313.89 लाख रुपये

उपर्युक्त में 16.34 लाख रुपये शामिल हैं जो कम्प्यूटर विज्ञान की 8 प्रयोगशालाओं तथा रासायन प्रौद्योगिकी के इंजीनियरी विभाग की एक प्रयोगशाला के वातानुकूलन कार्य के लिए दिए गए थे । यह व्यय अस्थायी प्रकार का नहीं है इसलिए पूंजीगत होना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप 16.34 लाख रुपए की व्यय की अधिकता तथा नियत परिसम्पत्तियां का कम विवरण दर्शाया गया ।

ख) विभागों /प्रयोगशालाओं में उपभोज्य: 102.42 लाख रुपए (अनुसूची 12) कार्यालय उपभोज्य: 5.61 लाख रुपए

उपर्युक्त में 2.90 लाख रुपए का भुगतान शामिल है जो मैसर्स स्पैक्ट्रा काम्प्यूटेक प्राइवेट लिमि0, चण्डीगढ़ को (2.74लाख रुपए) तथा मैसर्स सागर सेल्स कार्पोरेशन पटियाला को (0.16 लाख रुपए) पर्सनल कम्प्यूटर तथा फैक्स मशीन की सप्लाई के लिए दिया । चूंकि दोनों चीजें अनुपभोज्य प्रकार की हैं अतः इन्हें पूंजीगत किया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप 2.90 लाख रुपए की व्यय की अधिकता तथा नियत परिसम्पत्तियां का कम विवरण दर्शाया गया है ।

ग) सामान्य नई पेंशन योजना (एनपीएस)

संस्थान को 01.01.2004 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भारत सरकार की नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अन्तर्गत रखना चाहिए था । संस्थान ने 01.01.2004 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के बारे में एनपीएस का पालन नहीं किया । एनपीएस का पालन न करने का तथ्य लेखों में बताया नहीं गया ।

A. Balance Sheet

Assets

Current Assets Loans and Advances (Schedule 27): Rs.4331.20 lakh 540 Main Grant in Aid Account (Schedule8): Rs.4090.68 lakh

(Advances Recoverable (annexure 8.2): Rs.1435.60 lakh)

Above includes advances of Rs.21.68 lakh recoverable from various parties as on 31.3.12. These advances were given to various parties during the period ranging from January 1995 to February 2004. The disclosure for the advances recoverable for more than 5 years should have been made in the Notes to Accounts.

B. Income and Expenditure Account
Expenditure
Administrative Expenses (Schedule 30)
Main SLIET A/c: Rs.1077.16 lakh

a) Public Health/Horticulture/Electrical/Electrification: Rs.313.89 lakh

Above includes Rs.16.34 lakh paid for the work of Air-conditioning of 8 labs of Computer Science and one lab of Engineering department of Chemical Technology. This expenditure is not of temporary nature and should have been capitalized. This has resulted into overstatement of expenditure and understatement of fixed assets by Rs.16.34 lakh.

b) Consumable in Departments/Labs: Rs.102.42 lakh (Schedule 12) Office Consumables: Rs.5.61 lakh

Above includes a payment of Rs.2.90 lakh made to M/S Spectra Computech Pvt.ltd. Chandigarh (Rs.2.74 lakh) and M/S Sagar Sales Corporation Patiala (Rs.0.16 lakh) on account of supply of personal computer and fax machine. As both of these items are non consumables items and so these items should be capitalised. This has resulted into overstatement of expenditure and understatement of fixed assets by Rs.2.90 lakh.

C. General New Pension Scheme (NPS)

The Institute was required to cover the employees appointed after 1.1.2004 under New Pension Scheme (NPS) introduced by Government of India. The Institute did not implement NPS in respect of employees appointed after 1.1.2004. The fact of non implementation of NPS has not been disclosed in accounts.

घ) सहायक अनुदान

4839.73 लाख रुपए के उपलब्ध फंड, वर्ष के दौरान प्राप्त 2824.0 लाख रुपए के सहायक अनुदान तथा पिछले वर्ष के 890.19 लाख रुपए के शेष और 1125.54 लाख रुपए की आन्तरिक आय में से स्लाईट 3920.39 लाख रुपए की राशि का ही उपयोग कर सका और 31.03.2012 को 919.34 लाख रुपए का न खर्च हुआ शेष रह गया ।

ड.) प्रबन्धन का पत्र

जो त्रुटियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई वे संस्थान के प्रबन्धन को एक पृथक प्रबन्धन पत्र द्वारा बताई गई है जिसमें सुधारात्मक/दोषनिवारक कार्रवाई के बारे में बताया गया है ।

- i) पिछले पैराग्राफों में हमारी अभियुक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन-पत्र, आय तथा व्यय लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप है ।
- ii) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अध्यधीन, कथित वित्तीय अभ्युक्तियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं ।
- क) जहां तक यह 31 मार्च 2012 को संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (संगरूर) के कार्यों तुलन-पत्र से संबंधित है; और
- ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से आय में अधिकता से संबंधित है ।

कृते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) चण्डीगढ़

स्थान: चण्डीगढ़ तिथि : 20.11.2012 SLIET

D. Grant in Aid

Out of available fund of Rs.4839.73 lakh Grant in Aid of Rs.2824.0 lakh received during the year and previous year balance of Rs.890.19 lakh and internal income of Rs.1125.54 lakh, SLIET could utilise a sum of Rs.3920.39 lakh leaving unspent balance of Rs.919.34 lakh as on 31.3.2012.

E. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit report have been brought to the notice of the Institute's management through a management letter issued separately for remedial / corrective action.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
 - a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology as at 31st march 2012; and
 - b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India.

Principal Director of Audit (Central),

Chandigarh

Place: Chandigarh Date: 20.11.2012

अनुबंध - 1

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली

स्लाईट ने कोई आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली नहीं अपनाई । वित्तीय वर्ष 2011-12 के संदर्भ में आंतरिक लेखा-परीक्षा नहीं करवाई गई । इसके द्वारा अभी तक आंतरिक लेखा-परीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया गया ।

2 नियत परिसम्पित्तयों का प्रत्यक्ष सत्यापन

जी एफ आर के नियम 192 (2) के प्रावधान के अनुसार वर्ष में एक बार नियत परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन होना चाहिए । प्रबंधन द्वारा 31.03.2012 तक नियत परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था और अभी तक प्रक्रिया में था ।

- 3. माल सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन जी एफ आर के नियम 192 (2) के प्रावधान के अनुसार वर्ष के अंत में मालसूची का सत्यापन किया जाना होता है। प्रबंधन द्वारा 31.03.2012 तक माल सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था और अभी तक प्रक्रिया में था ।
- 4. सांविधिक प्राप्यों के भुगतान में नियमितता

संस्थान सांविधिक प्राप्यों के भुगतान में नियमित है।

हस्ता/-निदेशक (पीडीए/सीई)

Annexure-I

1. Internal Audit System

SLIET had not adopted any Internal Audit System. No Internal audit was conducted by the Institute in respect of financial year 2011-12. No internal audit manual has been prepared by it so far.

2. Physical verification of fixed assets

Fixed assets are to be physically verified once in a year as per provisions of Rule 192(2) of GFR. Physical verification of fixed assets was not done by the management as on 31.3.2012 and was still under process.

3. Physical verification of Inventory

Inventory is to be verified at the end of year as per provision of Rule 192 (2) of GFR.

The Physical Verification of Inventory was not done by the management as on 31.03.12 and was still under process.

4. Regularity in payment of statutory dues

The Institute is regular in payment of statutory dues.

Director (PDA/CE)



14th ANNUAL CONVOCATION OF THE INSTITUTE
HELD ON
NOVEMBER 19, 2011
(SATURDAY)

संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवम् प्रौद्योगिकी संस्थान

(सम विश्वविद्यालय) लौंगोवाल, ज़िला संगरूर (पंजाब)—148106

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

SANT LONGOWAL INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

(Deemed University) Longowal, Distt. Sangrur (Punjab)-148106

(An autonomous Body of Ministry of Human Resources Development, Department of Higher Education, Government of India)

WWW.sliet.ac.in

